न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 19/2016 श्री पूनमचन्द बनाम पन्नालाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ दिनांक 22–06–2016 प्रकरण स्रंख्या 20/2014 वाद ————————	
25–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में समायत शुदा बहस व पत्रावली तथा अपील मेमों का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिनांक 22–6–2016 को पारित किया हैः– ***22–6–16 न्याय आपे द्वारा 2016 कैम्प टाण्डा मंगला*** ***"प्रकरण आज मजमे आम में पेश हुआ। रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में एक पक्षीय डिग्री जारी हो"।*** अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 12–4–2016 के लिए प्रतिवादीगण के जवाब में नियत था, परन्तु उक्त नियत तिथि से पृथक जाकर दिनांक 22–6–2016 को अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचित किये बिना व सुने बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्वेच्छाचारी निर्णय पारित किया है, जो पक्षकारान के श्रम व धन पर कुठाराघात होकर समय की बर्बादी है। अधिनस्थ न्यायाल का निर्णय प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय, तथ्यात्मक एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	